न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
18 / 2020	अपील	26.08.2020	26.03.2021

नारायण पुत्र चन्दा, जाति रैगर, निवासी उमरी, तहसील गंगापुर, सिटी जिला–सवाई माधोपुर (राजस्थान)

–अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी (जिला सवाई माधोपुर) –रेस्पोन्डेण्ट

निर्णय दिनांक–26.03.2021

1.यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी उनवानी मुकदमा सरकार बनाम नारायण, मुकदमा नंबर–21 / 2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक–28.02.2020 के विरूद्ध पेश की है।

2.प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उमरी ने अपीलार्थी के विरूद्ध भूमि खसरा नम्बर 758 रकबा 0.010 हैक्टर किस्म भूमि गैरमुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने से संबंधित एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए 60 दिन के सिविल कारावास एवं लगान के 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 28.02.2020 पारित किया है। जिससे व्यस्थित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

3.अपील में अपीलार्थी ने आगे निवेदन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2020 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और एकतरफा कार्यवाही की है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने मे भारी कानूनी भूल की है। प्रार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से भौतिक रूप से कब्जे से बेदखल किया गया है। पूर्व बेदखली की कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। पटवार हल्का से अपीलार्थी को जिरह का कोई अवसर नहीं मिला है। ऐसे एकतरफा बयानो पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर कानूनी भूल की है। मौके पर भूमि बिल्कुल खाली है। परन्तु पटवारी हल्का ने गलत फहमी मे अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। श्रीमानजी चाहे तो मौका दिखाकर रिपोर्ट तलब कर ली जावे। अपीलार्थी को उक्त निर्णय दिनांक [illegible]0 की कोई जानकारी नहीं रही थी। दिनांक 23.8.2015 को थाना सदर गंगापुर [illegible] सिपाही अपीलार्थी के वारंट लेकर गांव उमरी पहुँचा और उक्त [illegible] ने दिनांक 24.8.2020 को निर्णय की नकल लेने हेतु प्र[illegible] उक्त आदेश की नक[illegible]क 24.8.2020 को प्राप्त हुई तब उक्त निर्णय की जान[illegible] अपीलार्थी को हुई है [illegible]पूर्व उक्त निर्णय की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं रहा है नकल प्राप्ति की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है। प्रार्थना–पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

4.अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 28.2.2020 को निरस्त फरमाया जावें।
5.अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।
6.बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। पूर्व बेदखली की कोई स्वतंत्र साक्ष्य नही है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।
7.हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।
8.प्रार्थना पत्र तहत् धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित में स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तो की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तो की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक:–26.3.21 को सरे इजलास सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2021.07.08 11:31:40 IST
Reason: SelfAttested

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)